: पुलिस मुख्यालय,(अपराध अनुसंधान विभाग) मध्यप्रदेश भोपाल :

क्रमांक/अअवि/एफएसएल/ 420/07 भोपाल,दिनांक 17-8-07

परिपत्र

प्रति,

समस्त पुलिस अधीक्षक
समस्त पुलिस अधीक्षक (रेल)
मध्यप्रदेश

प्रायः देखने मे आया है कि किसी भी अपराधिक, व संदिग्ध मृत्यु के प्रकरण, जिन में चिकित्सक व्दारा मृत्यु का कारण स्पष्ट लेख किया जाता है अथवा ऐसे प्रकरण जिनमें पुलिस विवेचना के दौरान मृत्यु का कारण स्पष्ट हो जाता है, में भी शव परीक्षण के पश्चात विसरा सुरक्षित करवा कर परीक्षण हेतु न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाता है, जबकि इस प्रकार के प्रकरणो में बिसरा परीक्षण रिपोर्ट की आवश्यकता न तो विवेचना अधिकारी को, न ही जिला पुलिस अधीक्षक को रहती है परन्तु बिसरा प्रयोगशाला में भेजने से प्रयोगशाला में बिसरा प्रकरणों की संख्या मे लगातार वृध्दि होती है तथा अनावश्यक रुप से रसायन,संसाधनो इत्यादी का व्यय होता है एवं जिन प्रकरणो में वास्तविक रुप से बिसरा परीक्षण रिपोर्ट की आवश्यकता होती है उन प्रकरणों का परीक्षण लम्बित हो जाता है जिससे माननीय न्यायालय व्दारा भी आपत्ति ली जाती है ।

अतः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जिले के समस्त विवेचना अधिकारियों को निर्देशित करने के साथ साथ स्वयं भी परीक्षण करने का कष्ट करें कि बिसरा परीक्षण हेतु भेजते समय निम्न दिशा निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

1. ऐसे समस्त प्रकरणों मे जिसमे शव परीक्षण के पश्चात विसरा तथा ऐसे मेडीको लीगल प्रकरण जिसमे पेट का धोवन, खून, पेशाब, इत्यादि मेडीकोलीगल विशेषज्ञ द्वारा सुरक्षित रखे जाते है, एवं जहर के परीक्षण कराये जाने का उल्लेख शव परीक्षण प्रतिवेदन,/मेडीकोलीगल प्रतिवेदन मे किया जाता है उन प्रकरणों को 15 दिवस मे परीक्षण के लिये न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला मे निर्धारित प्रक्रियां व प्रपत्रों सहित भेजा जावे ।

2. ऐसे प्रकरण जिसमे शव परीक्षण प्रतिवेदन मे जहर के अलावा मृत्यु के कारण का स्पष्ट लेख किया गया है, तथा पुलिस विवेचना मे भी मृत्यु का कारण स्पष्ट होता है उन प्रकरणों मे परीक्षण हेतु विसरा न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला नही भेजा जावे ।

कृपया उपरोक्तानुसार सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें ।

16/8

पुलिस महानिदेशक
मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. समस्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, म0प्र0 भोपाल । S.C. AB
2. समस्त रेन्ज पुलिस महानिरीक्षक म0प्र0।
3. समस्त रेन्ज उप पुलिस महानिरीक्षक म0प्र0 ।
4. निदेशक एफ0एस0एल0सागर ।
5. संयुक्त निदेशक क्षैत्रीय एफ0एस0एल0ग्वालियर/इन्दौर।

16/8

पुलिस महानिदेशक
मध्यप्रदेश, भोपाल

(ADG SCRB.)

IGP (SCRB)

Web site Circulars.

...IME RECORDS BUREAU
Sl.No. 21155/07
23..AUG..2007
(M.P.) BHOPAL